सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1546/MP/11/2023-ESDW **दिनांक: 19.04.2023**

श्री अनूप कुमार सिंह,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला खण्डवा,
कलेक्टर कार्यालय, सिविल लाइन्स, खण्डवा
मध्यप्रदेश-450001
ई-मेल: dmkhandwa@nic.in

विषय: वन भूमि का पट्टा दिलवाने के संबंध में श्री रघुनाथ अवाया, ग्राम हेमगीर (बाघमला), निवास पाटी (फाल्या), पोस्ट सुक्ता डेम कॉलोनी, तहसील पंधाना, व्हाया रूस्तमपूर, जिला पूर्व निमाड खण्डवा, म.प्र. का दिनांक 16.03.2023 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री रघुनाथ अवाया से दिनांक 16.03.2023 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री रघुनाथ अवाया,**
   ग्राम हेमगीर (बाघमला), निवास पाटी (फाल्या),
   पोस्ट सुक्ता डेम कॉलोनी, तहसील पंधाना,
   व्हाया रूस्तमपूर, जिला पूर्व निमाड खण्डवा,
   मध्य-प्रदेश

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**